

Title: Need to cancel the allocation of 30 acres land to the Vancha Swami Sansthan and reallocate it to the farmer at the side of Yamuna river.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय स्भापति जी, मैं दिल्ली के किसानों के साथ अन्याय और बर्बरता का जो व्यवहार हुआ है, उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। दिल्ली का मास्टर प्लान बना हुआ है। यमुना किनारे की जमीन को मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट करार कर छोड़ा है कि वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। 16 नवम्बर, 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था। उसमें स्पष्ट कहा कि जो यमुना किनारे डूब की भूमि है, उसका उपयोग निर्माण कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। इस भूमि पर पिछले 30 सालों से वहाँ के करीब 50 किसान कृषि करते थे, क्योंकि यह उनको मिली हुई थी। झील-खुर्रैजी आफ मिल्क प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी और दिल्ली पीजेंट्स सोसाइटी है, जिसमें ये छोटे-छोटे किसान अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। डी.डी.ए. और भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने मिलकर 23 अप्रैल सैंकड़ों पुलिस वालों के साथ उस भूमि पर अतिक्रमण कर लिया और खड़ी फसल बर्बाद कर दी।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वॉचा स्वामी संस्थान को यह 30 एकड़ जमीन इन लोगों ने मिट्टी के भाव 27 करोड़ रुपए में बेच दी। मेरा अनुरोध है कि इस जमीन का आबंटन निरस्त किया जाए और इसे पुनः उन्हीं किसानों को दिया जाना चाहिए। उनकी रोजी-रोटी नहीं छीनी जानी चाहिए और उनका जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जानी चाहिए। ये लोग बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।